न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : अश्विन के. पंवार (आर.ए.एस.)

राजस्व निगरानी प्रकरण सं. 12/2022

प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण– **बनाम** **अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकर्तागण–**

जयरूपाराम उर्फ जैरूपाराम के कायम मुकाम

1. गोपालकृष्ण पुत्र जयरूपाराम जाति जाट निवासी – बी –8 युटीआई कॉलोनी मसुरिया जोधपुर हाल –ग्राम सुबदण्ड तहसील लुणी जिला जोधपुर
2. भंवरीदेवी पुत्री जयरूपाराम पत्नी भवरालाल जाति जाट निवासी ग्राम ढाढणिया सांराण तहसील बालेसर जिला जोधपुर
3. मदन कंवर पुत्री जयरूपाराम पत्नी नाराणाराम जाति जाट निवासी दुध डेयरी के पिछे बालोतरा जिला बालोतरा
4. सुशीला पुत्री स्व. जयरूपाराम पत्नी भवरलाल जाति जाट निवासी ग्राम कपूरड़ी तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा

01. सरपंच ग्राम पंचायत कल्याणपुर जरिये
02. खीमाराम पुत्र अचलाराम जाति हरीजन निवासी कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा

राजस्व निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम वास्ते ग्राम पंचायत कल्याणपुर के प्रस्ताव संख्या 07 के तहत जारी विक्रय विलेख संख्या 66 दिनांक 20.07.2012

उपस्थिति :–
1. श्री अचलाराम थोरी, अधिवक्ता निगरानीकता की ओर से उपस्थित।
2. श्री छैलसिंह, पृथ्वीसिंह भाटी रेस्पोंडेन्ट स. 02 की ओर से अनुपस्थित।
3. विप्रार्थी सं 01 की ओर सें कोई भी उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक :–

1. निगरानीकर्ता की ओर से यह प्रथम निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम वास्ते ग्राम पंचायत कल्याणपुर के प्रस्ताव सं 07 के तहत जारी विकय विलेख संख्या 66 दिनांक 20.07.2012 को निरस्त करने बाबत निगरनी प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता ने

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

कथन किया ग्राम कल्याणपुर के खसरा नं 235/02 रकबा 06 बीघा 05 विस्वा निगरानीकर्ता व अन्य सह हिस्सेदारान की संयुक्त खाते स्वामित्व की भुमि प्रार्थी के हिस्से बंट में ही गई जिसके संबंध में कोई विवाद नहीं है, उक्त बंट में आई भूमि को कृषी भूमि में अकृर्षी भूमि में संपरिवर्तन करवाने हेतु प्राधिकृत अधिकारी तहसीलदार पचपदरा के समक्ष आवेदन मय नक्शा के पेश किया, उक्त आदेश के आधार पर संपरिवर्तन आदेश दिनांक 22.01.1993 के मार्फत उपरोक्त भूमि साथ में प्रस्तुत नक्शे के मुताबिक संपरिवर्तन कर दी गई, जो संलग्न नक्शा में ABCD बरंग हरा बताई गई, जिस पर प्रार्थी की दुकाने बनी हुई है, और वक्त खरीद से आज तक काबिज चला आ रहा है, संपरिवर्तन की गई, भूमि पुराना खसरा नम्बर 235/3/2 नया खसरा नम्बर 852/235 रकबा 01 बीघा 01 विस्वा गैर मुमकिन आबादी के रूप में प्रार्थी के स्वामित्व में दर्ज है, दिनांक 23.11.1987 से कब्जा लगातार चला आ रहा है, नाप उतरी दक्षिणी भूजा 200 फीट, पूर्वी भूजा 52 फीट, परिश्चमी भूजा 130 फीट अपरोक्त भूखण्ड में से 06 विस्वा भूमि प्रार्थी ने पाताराम जेठाराम को बेचान कर दी, जिसमें उनके मकानात बने हुए है। उपरोक्त भूखण्ड के पश्चात प्रार्थी के पास उतरी भूजा 100 फीट, दक्षिण भूजा 98 फीट, पूर्वी भूजा 52 फीट, पश्चिमी भूजा 90 फीट उतर में बालोतरा जोधपुर स्टेट हाईवे, दक्षिण में कटाण रास्ता, पूर्व में कल्याणपुर से समदड़ी जाने वाली सड़क पश्चिम में प्रार्थी द्वारा बेचान सुदा भुखण्ड मय मकानात, अप्रार्थी संख्या 02 व उसके आदमियों ने अवैध पार्टी बनाकर हमला कर प्रार्थी की बाउण्डरी की छीणे तोड़ दी, तथा मार्च 2009 में नाजायज कब्जा

कर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया, तब उक्त कब्जा हटाने बाबत् प्रार्थी ने दिवानी वाद तारीख 23.04.2009 को पेश किया वाद विचाराधिन रहते दिनांक 20.07.2012 को ग्राम पंचायत कल्याणपुर ने विप्रार्थी सं 02 के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किया कर दिया।

2. विप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत कल्याणपुर के स्वामित्व की भूमि ख. सं. 848/235 रकबा 05 विस्वा गैर मुमकिन आबादी के रूप में दर्ज है, उसमें नक्शा बताया है, नक्शा प्रार्थी के उपरोक्त संपरिवर्तन की गई भूमि में लोकेट होता है, अप्रार्थी संख्या 01 से अप्रार्थी सं. 02 ने मिलावट कर अपने पक्ष में पटटा जारी करवाया जबकि ऐसा करने का कोई अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है, पट्टे के पड़ौरा उतर दिशा में जयरूपाराम जाट प्रार्थी की दुकान, दक्षिण में आम रास्ता पूर्व में समदड़ी रोड़ पश्चिम में जयरूपाराम जाटा प्रार्थी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

की दूकान व प्लाट पट्टा जारी किया। उसके दोनो तरफ निगरानीकर्ता का भूखण्ड बताया गया है, रास्ता, समदड़ी रोड़ बताई गई है, उक्त पड़ौस

निगरानीकर्ता के भुखण्ड के पड़ोस से मेल खाते है, इस प्रकार अवैध रूप से अनियमितता से अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उपरोक्त विक्रय विलेख जारी किया है, ग्राम पंचायत को खसरा संख्या 848/235 की परिधि में अप्रार्थी सं. 02 के पक्ष में ग्राम पंचायत कल्याणपुर को पटटा जारी करना था, क्योंकि उक्त भुगि ग्राम पंचायत के स्वामित्व की है, किन्तु जो पड़ोस दर्ज कर विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 के नाम पटटा जारी किया है, उस भुगि के खसरा संख्या 852/235 थे, जो प्रार्थी निगरानीकर्ता के मालिकाना स्वामित्व की है, विप्रार्थी संख्या 01 के स्वामित्व की नहीं थी, इस प्रकार प्रश्नगत विक्रय विलेख में दर्ज पड़ोस पुरानी आबादी भुमि के नहीं है।

3. आबादी भूमि के निरीक्षण का प्रपत्र तैयार किया उसमें पुरानी आबादी भूमि में होना गलत बताया है, पुरानी आबादी भूमि के खसरे संख्या 848/235 आदि है। रिपोर्ट में न तो भूखण्ड के नाप बताये गये है, और न ही पड़ोस बताये गये है, और न ही कब्जा विप्रार्थी संख्या 02 का किस तारीख से है, अंकित ही किया गया है और उक्त भुखण्ड में प्राथी का क्या बना हुआ है, वह भी अंकित नहीं किया गया है, विप्रार्थी संख्या 02 का भुखण्ड आबादी

के किस खसरे में आता है, अंकित नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत कल्याणपुर के समक्ष अपना कब्जा होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है विप्रार्थी सं 2 खीमाराम ने जो शपथ पत्र ग्राम पंचायत कल्याणपुर के समक्ष पेश किया है, उसमें भी उसने अपने भुखण्ड का कोई नाप व पड़ोस अंकित नहीं किये, विवाद रहित होने का कथन किया गया जबकि विवाद विचाराधिन था, सिविल वाद के तथ्यों को छिपाया है, इसलिए ग्राम पंचायत कल्याणपुर द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 07 के माफिक विप्रार्थी के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख संख्या 66 दिनांक 20.07.2012 को खारिज किया जावे। निगरानी श्री जिला कलक्टर बाड़मेर के समक्ष पेश हुई, जो दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये समक्ष तलब किया गया अप्रार्थी सं. 02 की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वकालातनामा पेश किया तदोपरान्त प्रकरण में मौके की स्थिति को रेकर्ड पर लाने हेतु मौका कमीशनर तहसीलदार कल्याणपुर को नियुक्त कर मौका रिपोर्ट तलब की गई। इस दरमियान न्यायालय हाजा नवसृजित होने से पत्रावली स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर तारीख 27.12.22 को दर्ज की गई। न्यायालय हाजा में मौका

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

रिपोर्ट तहसीलदार कल्याणपुर से प्राप्त हुई। उसके बाद बावजूद तामिल विप्रार्थी सं.01 स्वयं उपस्थित नहीं होने तथा न उनके कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

4. तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद पत्रावली वास्ते बहस मुकर्र की गई दिनांक 06/12/2023 को बावजूद इतला उपस्थित नहीं होने से उपस्थित निगरानीकार के अधिवक्ता की बहस सुनी। दौराने बहस निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराया, तथा मुख्य रूप से मौका फर्द जो न्यायालय द्वारा वास्तविक मौका स्थिति की तहसीलदार भुमिधारक से तलब की में विर्णित स्थिति को अवलोकन करने हेतु निवेदन कर, कथन किया कि राजस्व रेकर्ड अनुसार यह स्वीकृत तथ्य है, कि खसरा संख्या 848/235 गैर मुमकिन आबादी भुमि है, जिस पर ग्राम पंचायत विप्रार्थी सं. 01 के द्वारा अन्य आवेदकों को पट्टा जारी किया जा सकता है, खसरा संख्या 852/235 की भुमि का पट्टा ग्राम पंचायत को जारी करने का अधिकार नहीं है क्योंकि खसरा संख्या 852/235 निजी खातेदार यानि निगरानीकर्ता की भुमि है, ग्राम पंचायत के मालिकाना की नहीं।

5. इस प्रकार प्रश्नगत पट्टा जारी किया गया है, वो ग्राम पंचायत कल्याणपुर के मालिकाना की भूमि का नहीं होकर निगरानीकर्ता के निजी सम्पति का जारी किया गया, जो विधि द्वारा वर्जित होने तथा अनियमितता से ग्रसित होने से पट्टा निरस्त करने योग्य है। हमने एक पक्षीय बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया तथा तलब की गई, मौका निरीक्षण रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2022/794 दिनांक 14.12.2022 तहसीलदार कल्याणपुर से प्राप्त कर परिशीलन किया। पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया, तथा मौका रिपोर्ट तहसीलदार कल्याणपुर का परिशीलन पर यह तथ्य सामने आया कि मौजा कल्याणपुर के खसरा संख्या 852/235 राजस्व रेकर्ड में जयरूपाराम पुत्र लालाराम, मूलाराम पुत्र किशनाराम के नाम से दर्ज होना, जिसका संपरिवर्तन तहसीलदार के आदेश क्रमांक - 1993/139 141 दिनांक 22.01.1993 को जारी किया गया, विवादित भूमि मुख्य बालोतरा जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 पर स्थित हैं। जिसकी उत्तर दिशा में जोधपुर – बालोतरा राष्ट्रीय राजमार्ग, दक्षिण दिशा में धोला–भाटा ग्रामीण सड़क, पूर्व दिशा में नागाणा–समदड़ी राज्य राजमार्ग एवं पश्चिम दिशा में उक्त खसरे की भूमि आई हुई है। उक्त खसरे के उत्तर दिशा में जयरूपाराम

Adl-f
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

की पक्की 9 दूकानें बनी हुई है, बीच में पोल, गेट का निर्माण किया हुआ है। पश्चिम दिशा में प्रार्थी जयरूपाराम द्वारा दूकानों के पीछे टीन–शेड का निर्माण करवाया हुआ है, जिस पर प्रार्थी जयरूपाराम के वारिसानों का मौका कब्जा हैं एवं दक्षिण दिशा, भूखण्ड के मध्य जगह रिक्त पड़ी हैं। दूकानों के पीछे की तरफ रहवासीय तामीरात बनी हुई है, जिसको खीमाराम स्वयं की बता रहा हैं। उक्त खसरा संख्या की चारों दिशाओं का माप–चौक किया गया, जिसका कुल माप 6534 वर्ग फीट हैं। प्रार्थी जयरूपाराम के पक्ष में जारी संपरिवर्तन भूमि का वर्तमान में माप 4253 वर्ग फीट हैं। खीमाराम ने मौके पर उपस्थित होकर खसरा संख्या 848/235 किस्म गै.मु. आबादी पर ग्राम पंचायत कल्याणपुर द्वारा पट्टा जारी होना बताया है। जबकि खसरा संख्या 848/235 राजस्व नक्शे में मुख्य जोधपुर–बालोतरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 की उत्तर दिशा में स्थित है एवं खसरा संख्या 852/235 जोधपुर–बालोतरा राजष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 की दक्षिण दिशा में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

6. खसरा संख्या 848/235 एवं खसरा संख्या 852/235 के मध्य जोधपुर–बालोतरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 गुजरता है। खीमाराम का खसरा संख्या 848/235 किस्म गै.मु. आबादी में मौका कब्जा नहीं है, जिसका मौके पर माप 1922.37 वर्गफीट है।

बाद गौर यह तथ्य स्वीकृत है कि ग्राम पंचायत निजी व्यक्तियों के मालिकाना भूमि का पट्टा जारी नही कर सकती है जबकि आलोच्य पट्टा संख्या 66 जारी किया गया है जो मौके पर खसरा संख्या 852/235 का होना साबित है, इस कारण आलोच्य पट्टे को कायम रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः बाद विवेचन निगरानीकर्तागण की निगरानी स्वीकार कर, ग्राम पंचायत कल्याणपुर द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 के नाम जारी पट्टा संख्या 66 दिनांक 20.07.2012 प्रस्ताव संख्या 07 निरस्त किया जाता है।

(अश्विन के. पंवार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 13.12.23 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और दर्ज नम्बर से कम हों।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा